



अभिलेख उपस्थापित।

12-1-23

(1.) सुरेश राम पिता स्व० श्यामलाल राम,
(2.) जनार्धन राम पिता स्व० हीरालाल राम एवं (3.) दीपक राम पिता स्व० लालमोहन राम, निवास स्थान ग्राम-मेरु, पोस्ट-मेरु, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-अम्बाडीह, थाना नं०-180, खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-376, 88 एवं 131, रकवा क्रमशः 0.20 एकड़, 0.08 एकड़ एवं 0.04 एकड़ कुल रकवा रकवा 0.32 एकड़ (32 डिसमिल) (बत्तीस डिसमिल) भूमि विजय राम पिता मोहन राम, निवास स्थान ग्राम-अम्बाडीह, पोस्ट-जगरनाथधाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21013932 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-18/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 84/रा० दिनांक 06.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1129 दिनांक 23.07.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत चौधरी छुइया वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 5.47 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.49 एकड़ भूमि है। मौजा-अम्बाडीह खाता संख्या-07, कुल रकवा 10.12 एकड़ का पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-138/1 व खाता संख्या-07 मधे कुल रकवा 0.27 डिसमिल का पृष्ठ संख्या-100/1 पर फुल मनिया देवी पिता जैयलाल भुइया दर्ज है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.49 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.17 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
	<p>सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) सुरेश राम पिता स्व0 श्यामलाल राम, (2.) जनार्दन राम पिता स्व0 हीरालाल राम एवं (3.) दीपक राम पिता स्व0 लालमोहन राम, निवास स्थान ग्राम-मेरु, पोस्ट-मेरु, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-अम्बाडीह, थाना नं0-180, खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-376, 88 एवं 131, रकवा क्रमशः 0.20 एकड़, 0.08 एकड़ एवं 0.04 एकड़ कुल रकवा रकवा 0.32 एकड़ (32 डिसमिल) (बत्तीस डिसमिल) भूमि विजय राम पिता मोहन राम, निवास स्थान ग्राम-अम्बाडीह, पोस्ट-जगरनाथधाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	